रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 31 जुलाई, 2021 ई० (श्रावण 9, 1943 शक संवत्) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	589–606	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	915–947	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	73–82	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	663–671	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

06 जुलाई, 2021 ई0

सं0 439/दो-4-2021-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम0), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0/पी0एच0डी0 डिग्री/उपविधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	उप निबन्धक (एम0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	विवेक विक्रम, सिविल जज, (सिनियर डिवीजन), लखनऊ	संख्या 9693/IV-4226 एडमिन, (ए-1), दिनांक 24-07-2019	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2017
2	आशा रानी सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर	संख्या 2307/IV-3351 एडमिन, (ए-1), दिनांक 19-02-2021	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	एल0एल0एम0	1996
3	अमन कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फास्ट ट्रैक कोर्ट-I, देवरिया	संख्या 3885/IV-4668 एडमिन, (ए-1), दिनांक 19-03-2021	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2017
4	कृष्ण प्रताप सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कासिया-कुशी नगर	संख्या 3979/IV-4287 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	पी0एच0डी0	2018
5	अनुकृति सिंह, एडीशनल सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायबरेली	संख्या 3934/IV-4857 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	एल0एल0एम0	2019
6	प्रशान्त सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सीतापुर	संख्या 3936/IV-5227 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	एल0एल0एम0	2019
7	बुशरा नूर, मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर	संख्या 3938/IV-4834 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	एल0एल0एम0	2019

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–				
8	अनुभव सिंह, एडीशनल सिविल जज (जूनियर डिवीजन), उन्नाव	संख्या 3940 / IV-4779 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2018
9	श्यामभवी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, गाजीपुर	संख्या 3943 / IV-4497 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी	एल0एल0एम0	2018
10	अभिनव देवेश शुक्ला, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), लखनऊ	संख्या 3945 / IV-5040 एडमिन, (ए-1), दिनांक 20-03-2021	एमिटी यूनिवर्सिटी	एल0एल0एम0	2019
11	शुभम चौधरी, एडीशनल सिविल जज, (जूनियर डिवीजन), फिरोजाबाद	संख्या 5994 / IV-5153 एडमिन, (ए-1), दिनांक 12-05-2021	डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	एल0एल0एम0	2019
12	फरहा नाज परवीन, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मुजफ्फरनगर	संख्या 5639 / IV-5001 एडमिन, (ए-1), दिनांक 17-05-2021	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	एल0एल0एम0	2019
13	अभिषेक त्रिपाठी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, महोबा	संख्या 5677 / IV-4823 एडमिन, (ए-1), दिनांक 18-05-2021	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एल0एल0एम0	2019
14	उत्कर्ष यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली	संख्या 7318 / IV-4701 एडमिन, (ए-1), दिनांक 25-06-2021	भारतीय विधि संस्थान	एल0एल0एम0	2012
15	वरूण बसिस्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद	संख्या 7309 / IV-5316 एडमिन, (ए-1), दिनांक 25-06-2021	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2017
16	अभिषेक शर्मा, एडीशनल सिविल जज, (जूनियर डिवीजन), मथुरा	संख्या 5206 / IV-5099 एडमिन, (ए-1), दिनांक 04-05-2021	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2019
17	तान्या गुप्ता, सिविल जज, (जूनियर डिवीजन), वाराणसी	संख्या 5204 / IV-5170 एडमिन, (ए-1), दिनांक 04-05-2021	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0	एल0एल0एम0	2019

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

[अधिष्ठान]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

01 जुलाई, 2021 ई0

सं0 20-1001(099)/11/2020-1-260—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री राम भरत, अनुभाग अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही अनु सचिव के पद (वेतनमान रुपये 15,600-39,100) (ग्रेड वेतन 6,600), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-11 पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राम भरत को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही अनु सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री राम भरत की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2327/96/आयुष-1-2021—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह, उप सचिव, आयुष विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही संयुक्त सचिव के पद (वेतनमान रुपये 37,400-67,000) (ग्रेड वेतन 8,700), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-13 पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री लक्ष्मण सिंह को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही अनु सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री लक्ष्मण सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय उत्तर प्रदेश

सेवानिवृत्ति

30 जून, 2021 ई0

सं0 2093/(अधिष्ठान) वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 671/(अधि0)वि0प0-267/84, दिनांक 22 मई, 2020 के क्रम में श्री अरविन्द कुमार अग्रहरि, मुख्य प्रतिवेदक, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 जून, 2021 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

08 जुलाई, 2021 ई0

सं0 2225 (अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष सचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनाक 30 जून, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

21 जून, 2021 ई0

सं0 16/2021/आडिट-1/दस-2021—उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये श्री राज्यपाल द्वारा उ0प्र0 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हुये उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4
1	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, हरदोई	प्रयागराज मण्डल।
2	जहीर अहमद	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, रायबरेली	उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।

2—सम्बन्धित अधिकारी अपने पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

21 जून, 2021 ई0

सं0 10/2021/975/छः पु0से0-1-2021-01डी0पी0सी0(एएसपी)/2019—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक (ज्येष्ठ वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-11, रु0 67,700-2,08,700) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-12, रु0 78,800-2,09,200) के पद पर प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2020 में श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उनके सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी।

2—श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या 752/छः पु0से0-1-2021-पीएफ-82/2019, दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा दोषमुक्त करते हुये समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1997, दिनांक 28 मई, 1997

के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था/प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति की मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति का अनावरण किया गया।

3—अनावरित मुहरबन्द लिफाफे में की गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक (ज्येष्ठता क्रमांक-273) को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-12, रु0 78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4—श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक की अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-5

कार्यालय-ज्ञाप

30 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2682/पांच-5-2020—नवनियुक्त कतिपय दन्त शल्यकों द्वारा अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण किये जाने हेतु विभिन्न प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से दन्त शल्यक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिन दन्त शल्यकों की उच्च शिक्षा (एम0डी0एस0) मई, 2021 तक पूर्ण हो रही है (सूची संलग्न)। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु मई, 2021 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

दन्त शल्यक के पद पर नियुक्त उच्च शिक्षा (एम0डी0एस0) ग्रहण कर रहे 08 अभ्यर्थियों की सूची—

क्रमांक	नाम	नियुक्त आदेश संख्या एवं दिनांक	एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4
1	डा0 मुकुल प्रसाद	संख्या 2236/पांच-5-2020, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020	मई, 2021
2	डा0 रीता यादव	संख्या 2265/पांच-5-2020, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020	मई, 2021
3	डा0 रखशिन्दा नाहिद	संख्या 2021/पांच-5-2020, दिनांक 04 अक्टूबर, 2020	मई, 2021
4	डा0 भावना कोली	संख्या 2021/पांच-5-2020, दिनांक 04 अक्टूबर, 2020	मई, 2021
5	डा0 राधा शर्मा	संख्या 2236/पांच-5-2020, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020	मई, 2021
6	डा0 फजाला अदील	संख्या 2236/पांच-5-2020, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020	मई, 2021
7	डा0 राहुल गोटे	संख्या 2364/पांच-5-2020, दिनांक 13 नवम्बर, 2020	मई, 2021
8	डा0 शैलेन्द्र कुमार	संख्या 2021/पांच-5-2020, दिनांक 04 अक्टूबर, 2020	मई, 2021

नियुक्ति

17 फरवरी, 2021 ई0

सं0 204/पांच-5-2021—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा दन्त शल्यक के पद पर चयनित संलग्न तालिका में उल्लिखित 06 अभ्यर्थियों को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में दन्त शल्यक के पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 (लेवल-10) में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6/7 में अंकित जनपद/चिकित्सालय में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) संलग्न तालिका में क्रमांक-5 पर उल्लिखित अभ्यर्थी डा0 सुनील कुमार विश्वकर्मा की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शासन में प्राप्त नहीं हुई है। डा0 विश्वकर्मा को योगदान कराने से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी,

गाजीपुर द्वारा मेडिकल बोर्ड से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जायेगा और स्वास्थ्य परीक्ष में उपयुक्त पाये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित दन्त शल्यकों को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(3) तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दन्त शल्यकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(4) सम्बन्धित दन्त शल्यक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित दन्त शल्यक कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यदि निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में अपने योगदान की सूचना नहीं दते हैं तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(6) अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती स्थान पर योगदान दिये जाने की तिथि से मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा 02 वर्ष की अवधि तक इनका क्रमशः अन्तरा जनपदीय एवं अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। इन 02 वर्षों के अन्तराल में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा ही इनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

2—सम्बन्धित दन्त शल्यक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, परन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में।

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3—उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में उक्त दन्त शल्यकों की ज्येष्ठता समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

क्रमांक	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	तैनाती जनपद	तैनाती स्थल	स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	164	डा0 अभिषेक ह्रदय नारायण झॉ	श्री ह्रदय उचित लाल झॉ	थाणे, महाराष्ट्र	सहारनपुर	सामु0 स्वा0 केन्द्र, नकुड	प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
2	276	डा0 ऋचा मिश्रा	श्री गंगा सागर मिश्रा	तिनसुखिया असम	आजमगढ़	सामु0 स्वा0, कोलहूखोर	प्राप्त
3	293	पल्लवी सिंह	श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह	लखनऊ	लखीमपुर खीरी	सामु0 स्वा0, नकहा	प्राप्त
4	437	डा0 मुकेश कुमार	श्री इन्द्रदेव भगत	गाजियाबाद	मैनपुरी	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कुरावली	प्राप्त
5	456	डा0 सुनील कुमार विश्वकर्मा	श्री श्याम बिहारी विश्वकर्मा	सोनभद्र	गाजीपुर	सामु0 स्वा0 केन्द्र, भदौरा	अप्राप्त
6	463	डा0 निशा सिंह	श्री अमित भदौरिया	अलीगढ़	फर्रूखाबाद	सामु0 स्वा0 केन्द्र, शमशाबाद	प्राप्त

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

28 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 478/पांच-5-2021—चिकित्सा अनुभाग-5 के आदेश संख्या 204/पांच-5-2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 द्वारा डा0 पल्लवी सिंह को दन्त शल्यक के पद पर नियुक्त करते हुये उन्हें तैनाती के स्थान सामु0 स्वा0 केन्द्र, नकहा, लखीमपुर पर 01 माह में कार्य भार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे।

2—डा0 पल्लवी सिंह ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06 मार्च, 2021 द्वारा उच्च शिक्षा (एम0डी0एस0) पूर्ण करने हेतु 31 मई, 2021 तक का अतिरिक्त समय कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिये जाने का अनुरोध किया है।

3—प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 पल्लवी सिंह, दन्त शल्यक को 31 मई, 2021 तक का अतिरिक्त समय इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि वे शासन को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगी कि 31 मई, 2021 को कोर्स पूर्ण होने के बाद तत्काल अपने तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगी।

आज्ञा से,
डा0 मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

15 जून, 2021 ई0

सं0 704/22-1-2021—306/98टीसी—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर अधीक्षक कारागार के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री कुंदन कुमार पुत्र श्री योगेश्वर मिश्रा, निवासी म0नं0-61, ब्लाक 26, पटेल नगर वेस्ट, सेन्ट्रल दिल्ली

पिनकोड-110008 (अनुक्रमांक-588096) को उत्तर प्रदेश कारागार सेवा में अधीक्षक कारागार समूह 'ख' (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के पद पर राज्यपाल महोदया सहर्ष नियुक्ति प्रदान करती हैं।

2—श्री कुंदन कुमार की नियुक्ति इस शर्त के अधीन की जाती है कि उनकी सेवायें उ0प्र0 जेल (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 1982 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3—श्री कुंदन कुमार को महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुये तैनात किया जाता है तथा उन्हें एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह कारागार सेवा में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों, तो इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान पर उपस्थित हों।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री कुंदन कुमार निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुये कि वह नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—श्री कुंदन कुमार उ0प्र0 जेल (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 1982 यथा संशोधित सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

5—श्री कुंदन कुमार की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयेाग, उ0प्र0 द्वारा तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

6—यदि कोई याचिका विचाराधीन है तो प्रश्नगत नियुक्ति उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

08 जून, 2021 ई0

सं0 1748 (55)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-55 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-116/52520058517) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री कमर आलम खान पुत्र श्री बाबुल्लाह उर्फ बाबू लाल खॉ, निवासी ग्राम-मोगलहा, पोस्ट-भगीरथपुर, थाना-कोलहुई, तहसील-नौतनवॉ, जिला-महराजगंज, उ0प्र0-273164 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के

लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बुड्ढाखेड़ा, सहारनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

नियुक्ति / तैनाती

17 जून, 2021 ई0

सं0 1107 / 96-आयुष-2-2021-1318924 / 20—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 596 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 20 / 01 / डीआर / एस-11 / 2017-18, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 90 / 01 / डीआर / एस-11 / 2017-18, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 109 / 01 / डीआर / एस-11 / 2017-18, दिनांक 21 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 155 / 01 / डीआर / एस-11 / 2017-18, दिनांक 31 अगस्त, 2020 के आधार पर चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चयन क्रमांक-551 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000101736) श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री चिरौंजीलाल, निवासी ग्रा0 व पो0 नौहाई, तहसील नरैनी, बांदा को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय गहरा, महोबा में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) चयनित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) चयनित चिकित्साधिकारी पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2016 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) चयनित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(6) चयनित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चयनित चिकित्साधिकारी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[ii] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[iii] भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

[iv] गोपनीयता एवं सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र।

[v] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि अभ्यर्थियों द्वारा अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं दी जाती है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(9) उक्त चयन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संस्थित रिट याचिका संख्या 4842/2020 डा0 रितेश सिंह व 48 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 1946 (एस0बी0)/2020 मानवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(10) श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री चिरौंजीलाल, निवासी ग्रा0 व पो0 नौहाई, तहसील नरैनी, बांदा का नियुक्ति/तैनाती आदेश जनपद बांदा में दर्ज एफआई0आर0 संख्या 0124/2019, धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506 जो मा0 न्यायायलय में विचाराधीन है, के अधीन इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि यदि मा0 न्यायालय द्वारा श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री चिरौंजीलाल, निवासी ग्रा0 व पो0 नौहाई, तहसील नरैनी, बांदा को अपराधी घोषित किया जाता है, तो उ0प्र0 सरकारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 4(4) के अनुसार इन्हें निलम्बित कर दिया जायेगा और यदि मा0 न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध दण्डादेश भी पारित किया जाता है तो कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के प्रस्तर-18 के अनुसार बिना किसी अन्य औपचारिकता को पूर्ण किये इन्हें तत्काल सेवा से पदच्युत कर दिया जायेगा।

(11) नियुक्ति/तैनाती में किसी प्रकार का परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

आज्ञा से,
लक्ष्मण सिंह,
उप सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

28 जून, 2021 ई0

सं0 1042/12-1-21-608/17—श्री राज्यपाल महोदय, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रु0 15,600—39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी (चरित्र सत्यपान आख्या अप्राप्त है, इनके द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की व्यवस्थानुसार स्वघोषणा-पत्र उपलब्ध कराया गया है) को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	गृह जनपद	वर्तमान पता	स्थायी पता	नई तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
1	सोनू मंगल पुत्र श्री रामचरन लाल मंगल	ढोलपुर राजस्थान	हरि एण्ड कम्पनी, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर, यूसुफगंज, पथर बाजार, नियर बारादरी चौहरा, अलीगढ़, उ0प्र0-202001	रामचरन लाल मंगल, उप 183 किराना शॉप, उपला बाजार, ढोलपुर, राजस्थान-328026	सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, ललितपुर।

2—सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावदिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन आख्या अप्राप्त होने तथा उनके द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 की व्यवस्थानुसार चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में स्वघोषणा-पत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिगत् इनकी नियुक्ति/तैनाती औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या इनके द्वारा स्वतः सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 की व्यवस्थानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5—उपर्युक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे उ0प्र0 सरकारी आचरण नियमाली, 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धी प्रमाण.पत्र दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचति हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, आदि सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को विलम्बतम 01 माह के भीतर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

6—सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

पदोन्नति

30 जून, 2021 ई0

सं0 04/2021-1178/12-1-20-112/20—श्री जितेन्द्र कुमार, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 22815 (ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 19424 (एस0एस0)/2020 डा0 पंकज त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2021 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या 205/2021 राज्य सरकार व अन्य बनाम डा0 पंकज त्रिपाठी व अन्य में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

3—श्री जितेन्द्र कुमार की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

4—यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 05/2021-1179-12-1-20-112/20—श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564

(एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 19424 (एस0एस0)/2020 डा0 पंकज त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2021 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या 205/2021 राज्य सरकार व अन्य बनाम डा0 पंकज त्रिपाठी व अन्य में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

3—श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

4—यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति

02 जुलाई, 2021 ई0

सं0 18/2021/992/36-4-2021-07/2013टी0सी0—श्रमायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत श्री प्रदीप कुमार, सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर को नियमित चयनोपरान्त उप श्रमायुक्त (वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2—शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रदीप कुमार को पदोन्नति उपरान्त मुख्यालय कानपुर में रिक्त उप श्रमायुक्त के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3—उक्त प्रोन्नत अधिकारी अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन/श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

25 जून, 2021 ई0

सं0 1028/सत्ताईस-1-2021-43/2019—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिविल संवर्ग के श्री सुरेन्द्र मोहन वर्मा, अधिशासी अभियन्ता को चयन वर्ष 2019-20 की रिक्ति के सापेक्ष उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 30 जून, 2020 से अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे 8,700 पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से वास्तविक पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री सुरेन्द्र मोहन वर्मा की तैनाती तथा नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/21/89-का-1-1999, दिनांक 28 मई, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
भूपेन्द्र एस0 चौधरी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-12

पदोन्नति

02 जुलाई, 2021 ई0

सं0 5/2021/213/27-12-2021-4(14)/15 टी0सी0-4—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संस्तुत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना में कार्यरत श्री कुलदीप नारायण श्रीवास्तव अवर अभियन्ता को चयन वर्ष 2018-19 में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधक अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400) पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे तथा उनकी वरिष्ठता पृथक् से अवधारित की जायेगी।

3—भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

मत्स्य उत्पादन विभाग

नियुक्ति

09 जून, 2021 ई0

सं0 13/2021/640/सत्रह-म-2021-6-9(236)/14टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती (सामान्य चयन) के माध्यम से सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित/संस्तुत 11 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थियों को सम्यक् विचारोपरान्त वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (पुनरक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करने एवं निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 5 में उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/स्थान में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पता	जन्म तिथि/गृह जनपद	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—			
1	ऋचा चौधरी पत्नी श्री नरेश कुमार	63, आर0डी0ए0 इन्दिरानगर कालोनी, रायबरेली, उ0प्र0-229001	दिनांक 25-04-1994, रायबरेली	मऊ
2	गिरीश त्रिपाठी पुत्र श्री जी0एस0 त्रिपाठी	ग्राम पनका बहादुर नगर, पो0-भौती, कानपुर नगर, उ0प्र0-209305	दिनांक 02-03-1992, कानपुर नगर	हमीरपुर
3	आशीष कुमार मौर्या पुत्र श्री जे0पी0 मौर्या	मकान सं0 82, ग्रा0-सैदपुर, पो0-महोली, थाना-रौनाही, तहसील-सोहावल, जिला अयोध्या, उ0प्र0-224126	दिनांक 21-03-1992, अयोध्या	महाराजगंज

1	2	3	4	5
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–			
4	अनीता पुत्री श्री धनी लाल टम्टा	ग्रा0 सुणाई, पो0-कालूसैंण, तहसील-कर्णप्रयाग, जिला चमोली, उत्तराखण्ड-246488	दिनांक 05-07-1991, चमोली	रामपुर
5	विभा लोहनी पुत्री श्री सतीश चन्द्र लोहनी	निकट जिम कार्बेट स्कूल, तुलसीनगर, पॉलीशीट, काठगोदाम, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	दिनांक 29-09-1991, नैनीताल	बरेली
6	पूजा गौतम पुत्री श्री ज्ञान प्रकाश गौतम	ग्रा0 धौरहरा, पो0-सिंधौरा, जनपद-मिर्जापुर, उ0प्र0-231304	दिनांक 18-07-1988, मिर्जापुर	अम्बेडकर नगर
7	मुक्ता सिंह पुत्री श्री तुलसी राम सिंह	मकान नं0 106, वार्ड नं0 8, आजाद नगर, केवटाना, नगर पंचायत, झूंसी, जनपद-प्रयागराज, उ0प्र0-211019	दिनांक 01-05-1989, प्रयागराज	सहारनपुर
8	जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र	ग्राम-अगरवा पूरे बुधई शुक्ल का पुरवा, पोस्ट-तरौली बाजार, थाना-इनायतनगर, मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या, उ0प्र0-224158	दिनांक 01-02-1990, अयोध्या	बहराइच
9	श्री प्रशान्त गंगवार पुत्र श्री कढेराम गंगवार	के-4 शास्त्रीनगर, थाना प्रेमनगर, जिला बरेली, उ0प्र0-243122	दिनांक 02-01-1986, बरेली	आगरा
10	डा0 विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री बालक राम वर्मा	म0नं0 744, मो0 लखपेड़ाबाग, कालोनी, निकट भवानी नीम, थाना कोतवाली, जिला-बाराबंकी, उ0प्र0-225001	दिनांक 24-01-1984, बाराबंकी	बलरामपुर

2–उक्त अभ्यर्थी मत्स्य विभाग में अपनी योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है) सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3–अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत / अनुमन्य महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते, जो भी हों,देय होंगे।

4–अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गयी संगत नियमावलियों, शासनादेशों एवं नियमों के अधीन होंगी।

5–संबंधित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्य भार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करता है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त / निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

6–इस आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक / प्रशिक्षण / अनुभव आदि सम्बन्धी योग्यता के संबंध में कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो संबंधित अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा / अधिकार मान्य नहीं होगा।

7—अभ्यर्थियों को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8—अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(2) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(3) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

9—अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

10—उक्त अभ्यर्थी संबंधित जनपद/स्थान में योगदान करने के पश्चात् अपना कार्यभार प्रमाणक निदेशक मत्स्य व शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार,
विशेष सचिव।

परिवहन विभाग

अनुभाग-3

नियुक्ति

28 जून, 2021 ई0

सं0 57/2021/1529/30-3-2021-70जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री रविकान्त शुक्ला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 29 मई, 2020 से नोशनल पदोन्नति तथा पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री रविकान्त शुक्ला की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 58/2021/1530/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री दिनेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री दिनेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 59/2021/1531/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजेश कुमार वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राजेश कुमार वर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 60/2021/1532/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री प्रभात पाण्डेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री प्रभात पाण्डेय की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 61/2021/1533/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री उमाशंकर यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री उमाशंकर यादव की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 62/2021/1534/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती ऋतु सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्रीमती ऋतु सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 63/2021/1535/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री संजय कुमार तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संजय कुमार तिवारी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 64/2021/1536/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री संदीप कुमार पंकज, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संदीप कुमार पंकज की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 65/2021/1537/30-3-2021-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राकेन्द्र कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राकेन्द्र कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 जुलाई, 2021 ई० (श्रावण 9, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

11 मई, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/266/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री राम सलट राम, निवासी आराजी बगही, पो0 बनगॉव, तहसील लालगंज, आजमगढ़, उ0प्र0-276123 (अनुक्रमॉक 273153) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री प्रशान्त कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री प्रशान्त कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री प्रशान्त कुमार की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री प्रशान्त कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, प्रयागराज जोन, प्रयागराज के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री प्रशान्त कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री प्रशान्त कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/267/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री मुमताज अहमद पुत्र श्री मुस्तफा, निवासी म0नं0 39/652, वार्ड नं0 39, प्रेमनगर कालोनी, बलियरी, पोस्ट बैढन जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) 486886 (अनुक्रमॉक 244155) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री मुमताज अहमद नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री मुमताज अहमद का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री मुमताज अहमद की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री मुमताज अहमद को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, प्रयागराज जोन प्रयागराज के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री मुमताज अहमद को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री मुमताज अहमद को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मिनिस्ती एस0,
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

शुद्धि-पत्र

03 जून, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/481/वाणिज्य कर—नियुक्ति आदेश संख्या 267 दिनांक 11 मई, 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री मुमताज अहमद पुत्र श्री मुस्तफा, निवासी म0नं0 39/652, वार्ड नं0 39, प्रेमनगर कालोनी, बलियरी, पोस्ट बैढन, जिला

सिंगरौली (मध्य प्रदेश) 486886 (अनुक्रमॉक 254155) को नियुक्त प्रदान करते हुए एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर प्रयागराज जोन प्रयागराज कार्यालय में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया गया था।

उक्त आदेश में श्री मुमताज अहमद पुत्र श्री मुस्तफा, का अनुक्रमांक.254155 के स्थान पर त्रुटिवश 244155 अंकित हो गया है। जिसे संशोधित करते हुए अनुक्रमांक 254155 पढ़ा व समझा जाए आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

सुधा वर्मा,
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11 मई, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/268/वाणिज्यकर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सृजन चौबे पुत्र आनन्द कुमार चौबे, निवासी 39-30 डी-के, आर्दश नगर भावापुर प्रयागराज उ0प्र0 211016 (अनुक्रमॉक 424327) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री सृजन चौबे नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री सृजन चौबे का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री सृजन चौबे की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री सृजन चौबे को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, कानपुर जोन द्वितीय कानपुर के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री सृजन चौबे को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री सृजन चौबे को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/269/वाणिज्य कर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुयश नारायण पुत्र श्री सुमित नारायण, निवासी सी-44, पॉकेट-1 केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोयडा (गौतमबुद्धनगर) उ0प्र0 201304 (अनुक्रमॉक 538786) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री सुयश नारायण नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री सुयश नारायण का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री सुयश नारायण की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री सुयश नारायण को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, मेरठ जोन मेरठ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री सुयश नारायण को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री सुयश नारायण को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मिनिस्ती एस0,
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ

28 मई, 2021 ई0

सं0 981(1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-आ-589/का-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री कुमार हिमांशु पुत्र श्री पी0एन0 सिंह निवासी सी0ओ0 डॉ0 प्रेम नारायण सिंह, महिला कालेज, सिविल लाइंस जनपद रोहतास (बिहार) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100 से रु0 1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं—

2—श्री कुमार हिमांशु, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते है अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री कुमार हिमांशु, को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्यय होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जायेगी—

(1) आयु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियॉ।

(2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(3) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

(7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

(8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध के शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 20 तथा समय.समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18 (6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, जमानिया गाजीपुर से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927 दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—श्री कुमार हिमांशु को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 10 जून, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गाजीपुर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री कुमार हिमांशु दिनांक 10 जून, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते है, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—श्री कुमार हिमांशु, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 14 जून, 2021 से दिनांक 22 जून, 2021 तक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश मुख्यालय प्रयागराज में उपस्थित रहकर सैद्धांतिक/व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10—श्री कुमार हिमांशु उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 979(1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-आ-589/का-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री उदयराज सिंह निवासी मकान नं0 73 ग्राम घटवा तहसील करछना जनपद प्रयागराज उ0प्र0 को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5,400 यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रू0 56,100 से रू0 1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं—

2—श्री प्रभात सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते है अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री प्रभात सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्यय होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जायेगी—

(1) आयु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियॉ।

(2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(3) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

(7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

(8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध के शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रू0 750.00 (रू0 सात सौ पचास मात्र) का बचत महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18 (6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सिधौली, सीतापुर से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927 दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—श्री प्रभात सिंह को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 10 जून, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सीतापुर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 10 जून, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते है, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—श्री प्रभात सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 14 जून, 2021 से दिनांक 25 जून, 2021 तक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश मुख्यालय प्रयागराज में उपस्थित रहकर सैद्धांतिक/व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10—श्री प्रभात सिंह उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा—भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

डॉ0 रोशन जैकब,
आई0ए0एस0,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

23 जून, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/705/वाणिज्यकर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमित पाण्डेय पुत्र श्री मनोज पाण्डेय, निवासी 11-जी, लिडिल रोड, जॉर्ज टाउन प्रयागराज, उ0प्र0-211002 (अनुक्रमॉक 243483) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री अमित पाण्डेय नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री अमित पाण्डेय का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री अमित पाण्डेय की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री अमित पाण्डेय को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री अमित पाण्डेय को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री अमित पाण्डेय को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मिनिस्ती एस0,
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञा

03 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 498/प-डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार तहसील किरावली की नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर सीकरी के लिए प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु, नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर सीकरी को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/ संख्या	प्लॉट क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	किरावली	किरावली	कौरई	1152-ग मि0	हेक्टेयर 1.3520 में से रकवा 1.000	बंजर	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर सीकरी के लिए प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु।

प्रभु एन0 सिंह,
जिलाधिकारी,
आगरा।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

19 मई, 2021 ई0

सं0 6495/सात-भू0सु0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016, (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित गॉव/गॉव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित गाटा सं0 390 ड़ रकबा 1200 वर्ग मीटर भूमि कृषि कल्याण की स्थापना हेतु, कृषि विभाग, को हस्तगत कराया जाय—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लॉट सं0/गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवारा राजा	बाराडीह	390-ड़	हेक्टेयर 1200 वर्ग मीटर श्रेणी-5 -3-ड, बंजर भूमि	कृषि विभाग, (कृषि कल्याण की स्थापना हेतु)

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञा

01 जून, 2021 ई0

सं0 1028/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021—''उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 5709/एस0टी0-एस0डी0एम0/21 दिनांक 17 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या 405/एस0टी0-एस0डी0एम0/21 दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित नाली के खाते में दर्ज खसरा संख्या 106 रकबा 0.0163 हे0 एवं चकमार्ग के खाते में दर्ज खसरा संख्या 105 रकबा 0.0160 हे0, कुल खसरा नम्बरान 02 कुल रकबा 0.0323 हे0 के सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन किये जाने व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे) के नाम दर्ज ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खसरा नम्बर 1218-क रकबा 0.0323 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ।

1—उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन 8,07,500.00 रुपये (आठ लाख सात हजार पॉच सौ रुपये) निर्धारित लेख शीर्षक ''0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तिया'' के नाम जमा कराया जायेगा।

2—उप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील व जनपद गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि को नाली व चकमार्ग के रूप में तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरॉन्त सचिव पोत परिवहन, सड़क परिवहन, एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3—लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप-जिलाधिकारी गाजियाबाद अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4—उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।''

अजय शंकर पाण्डेय,
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

04 जून, 2021 ई0

सं0 1338/डी0एल0आर0सी0/2021—उप जिलाधिकारी स्याना की आख्या/प्रस्ताव पत्रांक 520/आर0के0 दिनांक 19 अप्रैल, 2021 के द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु संरेखण से आच्छादित तहसील स्याना के ग्राम बाहपुर के गाटा संख्या 1637-ख क्षेत्रफल 0.130 हे0 चारागाह, ग्राम हिंगवाड़ा के गाटा संख्या 297 क्षेत्रफल 0.010 हे0 पीली मिट्टी गाटा संख्या 149 क्षेत्रफल 0.025 हे0 पीली मिट्टी व गाटा संख्या 630 क्षेत्रफल 0.019 हे0 खाद के गडढे, ग्राम इकलैडी के गाटा संख्या 1 क्षेत्रफल 0.013 हे0 बाल्मीकि शमशान की भूमि का विनिमय कर श्रेणी परिवर्तन किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून, 2021 में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है ''उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आक्ष्छादित जनपदों यथा बुलन्दशहर आदि के जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के स्वामित्व अर्थात ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन में रखी जायेगी।''

अतः उपर्युक्त शासनादेश/अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर उप जिलाधिकारी स्याना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित भूमि की श्रेणी परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ :

क्र0	भूमि का विवरण	तालिका-01					तालिका-02					
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी	क्र0	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	बाहपुर	1637-ख	0.130	चारागाह	श्रेणी-5-3-क	1	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	बाहपुर	1637-ख	0.130	चारागाह	श्रेणी-5-3-क	1	बाहपुर	7	0.130	नवीन परती	श्रेणी 5-1
1	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	बाहपुर	1637-ख	0.130	नवीन परती	श्रेणी-5-1	1	बाहपुर	7	0.130	चारागाह	श्रेणी 5-3-क
2	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	हिंगवाड़ा	297	0.010	पीली मिट्टी	श्रेणी-6-2	2	—	—	—	—	—
			149	0.025	पीली मिट्टी	श्रेणी-6-2						
			630	0.019	खाद के गडढे	श्रेणी-6-2						
2	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	हिंगवाड़ा	297	0.010	पीली मिट्टी	श्रेणी-6-2	2	हिंगवाड़ा	311	0.010	नवीन परती	श्रेणी-5-1
			149	0.025	पीली	श्रेणी-6-2			311	0.025	नवीन परती	श्रेणी-5-1
			630	0.019	मिट्टी खाद के गडढे	श्रेणी-6-2			311	0.019	नवीन परती	श्रेणी-5-1
2	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	हिंगवाड़ा	297	0.010	नवीन परती	श्रेणी-5-1	2	हिंगवाड़ा	311	0.010	पीली मिट्टी	श्रेणी-6-2
			149	0.025	नवीन परती	श्रेणी-5-1			311	0.025	पीली	श्रेणी-6-2
			630	0.019	नवीन परती	श्रेणी-5-1			311	0.019	मिट्टी खाद के गड्ढे	श्रेणी-6-2
3	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	इकलैडी	1	0.013	बाल्मीकि शमशान	श्रेणी-6-3	3	—	—	—	—	—
3	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	इकलैडी	1	0.013	बाल्मीकि शमशान	श्रेणी-6-3	3	इकलैडी	674	0.013	नवीन परती	श्रेणी-5-1
3	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	इकलैडी	1	0.013	नवीन परती	श्रेणी-5-1	3	इकलैडी	674	0.013	बाल्मीकि शमशान	श्रेणी-6-3

अतः उपरोक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय करने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उप जिलाधिकारी स्याना उपरोक्तानुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के सम्बन्ध में नियमतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जें में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघंन किया जाता है, तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अनुज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञायें

04 जून, 2021 ई0

सं0 2281/डी0एल0आर0सी0-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2021—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के

नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20 (5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	जैसलपुर महदेवा	00672	1090	0.522	6-4 बीहड़	गौशाला की स्थापना हेतु (पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश)

जितेन्द्र प्रताप सिंह,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

07 जून, 2021 ई0

सं0 167/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ग्राम पंचायत	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	खड़खड़ी	177	0.0060	नाली	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				180	0.0160	नाली	

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	खड़खड़ी	184	0.0135	नाली	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				182	0.0090	चकरोड	
				260	0.0060	नाली	
				285	0.0510	चकरोड	
				287	0.0090	नाली	
				294	0.0360	चकरोड	
				458	0.0060	चकरोड	
				461	0.0220	चकरोड	
				461/675	0.0130	नाली	
				468	0.0340	नाली	
				472	0.0380	चकरोड	
				509	0.0460	चकरोड	
				508	0.0410	नाली	
				661	0.0150	नाली	
				654	0.0170	नाली	
				659	0.0340	नाली	
				योग . .	0.4826		

1—शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2—पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

सं0 168/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ग्राम सभा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	अतराडा	1477	0.0420	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	अतराडा	1478	0.0650	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				1469	0.1010	चकमार्ग	
				1467	0.0008	नाली	
				1525	0.0190	चकमार्ग	
				1646	0.0340	चकमार्ग	
				1693	0.0270	नाली	
				1691	0.0340	नाली	
				1721	0.0310	नाली	
				योग . .	0.3538		

1—शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2—पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

सं0 169/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ग्राम पंचायत	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	बिजौली/ बिजौली नित्यानन्दपुर	441	0.0610	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				433	0.0310	चकमार्ग	
				413	0.0360	चकमार्ग	
				1127	0.0110	चकमार्ग	
				415	0.0200	चकमार्ग	
				1155	0.0290	चकमार्ग	
				1138	0.0030	चकमार्ग	
				1136	0.0060	चकमार्ग	
				436	0.0080	नाली	
				445	0.0480	नाली	
				438	0.0310	नाली	

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
				424	0.0570	नाली	
				345	0.0580	नाली	
				408	0.0130	नाली	
				379	0.0612	नाली	
				385	0.0170	नाली	
				1082	0.0448	नाली	
				416	0.0190	नाली	
				1156	0.0110	नाली	
				1142	0.0310	नाली	
				1159	0.0170	नाली	
				331	0.0160	रास्ता	
				329-मि0	0.0760	रास्ता	
				योग . .	0.7050		

1—शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2—पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

सं0 170/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ग्राम पंचायत	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	गोविन्दपुर	270	0.0230	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				285	0.0360	चकरोड	
				210	0.0470	रास्ता	
				194	0.0080	नाली	
				171	0.0140	नाली	
				187	0.1140	नाली	
				182	0.0080	चकमार्ग	
				181	0.0030	नाली	
				योग . .	0.2530		

1–शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2–पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

सं0 171/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	भगवानपुर	72	0.0350	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				94	0.0150	चकमार्ग	
				99	0.0610	नाली	
				100	0.0120	चकमार्ग	
				107	0.0020	नाली	
				59	0.0016	नाली	
				योग . .	0.1266		

1–शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2–पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

के0 बालाजी,
जिलाधिकारी,
मेरठ।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

08 जून, 2021 ई0

सं0 6527/सात-भू0सु0/2021–शासनादेश संख्या 744/एक-1-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गांव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित गाटा संख्या 1267 रकबा 0.1030 हे0 व गाटा संख्या 1268

रकबा 0.1220 हे0 कुल 02 गाटा रकबा 0.2250 हे0 भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु) को हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट सं0 / गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	कसवारा राजा	भरथरा	गाटा सं0 1267 व गाटा सं0 1268	हेक्टेयर 0.2250 श्रेणी 5-1, नवीन परती भूमि	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु)।

सं0 6528 / सात-भू0सु0 / 2021–प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1369 / पांच-6-2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 जिसके द्वारा जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र शहर उत्तरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विधान सभा क्षेत्र शहर उत्तरी के स्थान पर विधान सभा क्षेत्र रोहनिया या सेवापुरी हेतु आवश्यक निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि शहर उत्तरी विधान सभा के निकटतम स्थल, जो भले ही अन्य विधान सभा के निवासियों को लाभान्वित किया जा सके। उक्त के क्रम में स्थल परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त के क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम–परशुरामपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जनपद वाराणसी में स्थित गाटा संख्या 416 रकबा 500 वर्ग मीटर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 5815 / सात-भू0सु0 / 2019-20, दिनांक 05 फरवरी, 2020 को निरस्त किया जाता है तथा पुनः उक्त ग्राम के भूमि को श्रेणी-5-3-ड़ बंजर के खाते में दर्ज किया जाय।

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 जून, 2021 ई0

सं0 1350 / डी0एल0आर0सी0 / 2021–शासनादेश संख्या 744 / एक-1-2016-20 (5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम वेदरामपुर, परगना पहासू, तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, शिकारपुर की आख्या पत्रांक 418 / रजि0कानूनगों, दिनांक 08 जून, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव / संस्तुति दिनांक 04 मार्च, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.569 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328 / नौ-5-20-56सा / 2018, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम / कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विशेष / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुलन्दशहर	शिकारपुर	पहासू	वेदरामपुर	282 284	हेक्टेयर 0.417 0.152	6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषिक हो / ऊसर	उ0प्र0 शासन के स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुए नगर विकास विभाग के नगर पंचायत पहासू को सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट एवं एम0आर0एफ0 सेन्टर हेतु।
					कुल रकवा . .	0.569		

सं0 1351/डी0एल0आर0सी0/2021–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम त्यौर बुजुर्ग, परगना पहासू, तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, शिकारपुर की आख्या पत्रांक 417/रजि0कानूनगो, दिनांक 08 जून, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 मार्च, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 15 अगस्त, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 1.366 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ-5-20-56सा/2018, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	बुलन्दशहर	शिकारपुर	पहासू	त्यौर बुजुर्ग	339	1.366	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषिक हो/ऊसर	उ0प्र0 शासन के स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुए नगर विकास विभाग के नगर पंचायत छतारी को सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट एवं एम0आर0एफ0 सेन्टर हेतु।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 जून, 2021 ई0

सं0 175/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021–शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक

02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 08 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ग्राम पंचायत	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	अटौला	15	0.0120	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।
				2	0.0110	चकमार्ग	
				81	0.0340	नाली	
				80	0.0520	चकमार्ग	
				92	0.0520	नाली	
				106	0.0310	नाली	
				160	0.0280	चकमार्ग	
				159	0.0140	नाली	
				222	0.0380	चकमार्ग	
				योग . .	0.2720		

1–शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2–पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

सं0 176/सात-डी0एल0आर0सी0/गं0ए0वे0परि0/2021–शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ, निम्न

अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 08 जून, 2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ग्राम पंचायत	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	सरावा	शाफियाबाद लौटी	1245	0.0540	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु।

1–शासनादेश संख्या यू0ओ0 70/एक-1-2021, दिनांक 02 जून, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा।

2–पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा।

के0 बालाजी,
जिलाधिकारी, मेरठ।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

10 जून, 2021 ई0

सं0 504/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2021-22–उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा करारी, तहसील झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	करारी	514-मि	0.100	श्रेणी-5 (3) ड़ बंजर	उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान झाँसी के थाना कार्यालय हेतु (निःशुल्क)।

सं0 504/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2021-22–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी,

झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम भौराघाट, तहसील मोंठ, जिला झाँसी में स्थित भूमि पेयजल परियोजना के अन्तर्गत सब स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गाँव	गाँवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	मोंठ	भौराघाट	496	3.844 में से 0.100	श्रेणी-6(2) आकृषिक भूमि आवादी के स्थान पर श्रेणी-5(1) नवीन परती	380/भौराघाट	0.101	श्रेणी-5(1) नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6(2) आकृषिक भूमि आवादी।

आन्द्रा वामसी,
जिलाधिकारी, झाँसी।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञा

15 जून, 2021 ई0

सं0 1043/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0बाद-2021—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण परियोजना, जिसके लिये भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	नूरनगर	396-मि0	0.1600	श्रेणी 5-3-ङ बंजर	जनपद गाजियाबाद के नवसृजित थाना नन्दग्राम की स्थापना हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पक्ष।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञा

15 जून, 2021 ई0

सं0 191/सात-डी0एल0आर0सी/स्वामित्व योजना/2020—उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-14, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 344/एक-14/2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद मेरठ के 672 ग्राम, ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, गजट में अधिसूचना के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये है।

अतः मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ, राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2020 के क्रम में उक्त अधिसूचना मे प्रकाशित ग्रामों में से निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में अधिसूचना के दिनाक से ग्राम आबादी क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया संपादित किये जाने के आदेश देता हूं :

क्र0सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	मेरठ	मेरठ	मेरठ	छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर
2	मेरठ	मेरठ	मेरठ	महरौली
3	मेरठ	मेरठ	मेरठ	शौलाना
4	मेरठ	मेरठ	मेरठ	मौहम्मदपुर गूमी
5	मेरठ	मेरठ	मेरठ	ततीना सानी
6	मेरठ	मेरठ	मेरठ	गगौल
7	मेरठ	मेरठ	मेरठ	चन्दसारा
8	मेरठ	मेरठ	मेरठ	रूकनुद्दीन मिश्री उर्फ फफूण्डा
9	मेरठ	मेरठ	मेरठ	शाकरपुर
10	मेरठ	मेरठ	मेरठ	अमीनगर उर्फ भूडबराल
11	मेरठ	मेरठ	मेरठ	महीउद्दीनपुर
12	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	उल्देपुर
13	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	सिखेडा
14	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	मुजफ्फरनगर सैनी
15	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	इन्चौली
16	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	नंगली आजमाबाद
17	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	सालारपुर जलालपुर
18	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	इस्लामाबाद छिलौरा
19	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	रसूलपुर औरंगाबाद
20	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	कस्तला शमशेरनगर
21	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	मोरना
22	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	भावनपुर
23	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	रूकनपुर
24	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	राली चौहान
25	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	दतावली गेसूपुर
26	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	जलालुद्दीन मसूदपुर गांवडी
27	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	मेदपुर
28	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	लडपुरा
29	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	पचपेडा
30	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	स्याल
31	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	हसनपुर कदीम
32	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	पंचगांव पट्टी सांवल

1	2	3	4	5
33	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	सिसौली
34	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	जिठौली
35	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	आलमपुर बुजुर्ग
36	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	पंचगांव पट्टी अमर सिंह
37	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	पट्टी खेडकी
38	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	भगवानपुर चट्टावन
39	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	मऊखास
40	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	नंगलामल
41	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	रजपुरा
42	मेरठ	मेरठ	जानी	मौहम्मदपुर धूमी
43	मेरठ	मेरठ	जानी	अमानुल्लापुर
44	मेरठ	मेरठ	जानी	नेक
45	मेरठ	मेरठ	जानी	सिसौला खुर्द
46	मेरठ	मेरठ	जानी	किठौली
47	मेरठ	मेरठ	जानी	बाफर
48	मेरठ	मेरठ	जानी	जानी खुर्द
49	मेरठ	मेरठ	जानी	जानी बुजुर्ग
50	मेरठ	मेरठ	जानी	पांचली खुर्द
51	मेरठ	मेरठ	जानी	कलंजरी
52	मेरठ	मेरठ	जानी	ढिलौरा उर्फ डालूहेडा
53	मेरठ	मेरठ	जानी	भवी
54	मेरठ	मेरठ	जानी	कुराली
55	मेरठ	मेरठ	जानी	महपा
56	मेरठ	मेरठ	जानी	लहर्रा
57	मेरठ	मेरठ	जानी	किशोरी
58	मेरठ	मेरठ	जानी	मुजक्कीपुर
59	मेरठ	मेरठ	जानी	पूठरी
60	मेरठ	मेरठ	जानी	गेझा
61	मेरठ	मेरठ	जानी	अघेड़ा

1	2	3	4	5
62	मेरठ	मेरठ	जानी	काजमाबाद गून
63	मेरठ	मेरठ	रोहटा	कलीना
64	मेरठ	मेरठ	रोहटा	दमगढ़ी
65	मेरठ	मेरठ	रोहटा	हसनपुर रजापुर
66	मेरठ	मेरठ	रोहटा	किनौनी
67	मेरठ	मेरठ	रोहटा	बाडम
68	मेरठ	मेरठ	रोहटा	बनवारीपुर
69	मेरठ	मेरठ	रोहटा	डूंगर
70	मेरठ	मेरठ	रोहटा	रसूलपुर मढी
71	मेरठ	मेरठ	रोहटा	भदौडा
72	मेरठ	मेरठ	रोहटा	चिन्दौडी खास
73	मेरठ	मेरठ	रोहटा	रसूलपुर रोहटा
74	मेरठ	मेरठ	रोहटा	ख्वाजमपुर माजरा
75	मेरठ	मेरठ	रोहटा	सलाहपुर
76	मेरठ	मेरठ	रोहटा	रसूलपुर जाहिद
77	मेरठ	मेरठ	रोहटा	उकसिया
78	मेरठ	मेरठ	रोहटा	थिरोट
79	मेरठ	मेरठ	रोहटा	डालमपुर उर्फ ढिलौरा
80	मेरठ	मेरठ	रोहटा	सिंघावली
81	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	नाहली
82	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	आलगिरपुर फरीदपुर
83	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	राजपुर मोमीन
84	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	पाली
85	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	पांचली बुजुर्ग
86	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	देवलीखेडा उर्फ जैनपुर
87	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	खेडीकला
88	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	दबथुवा
89	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	कमरूद्दीननगर मंढियाई
90	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	जुल्हैढा

1	2	3	4	5
91	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	छबडिया
92	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	चान्दना
93	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	खांजापुर कुशावली
94	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	नंगला आर्डर
95	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	झिटकरी
96	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	भांभौरी
97	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	सलावा
98	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	कपसाढ़
99	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	दौलतपुर
100	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	मौजमाबाद ज्वालागढ
101	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	खेड़ा
102	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	जलालपुर अक्खेपुर
103	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	औरंगनगर राडधना
104	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	बहराला
105	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	धन्जू
106	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	सिवाया जमाउल्लापुर
107	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	पावली खास

के0 बालाजी,
जिलाधिकारी, मेरठ।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञा

16 जून, 2021 ई0

सं0 1046/सात-डी0एल0आर0सी-गा0बाद/विनियम-2021—उप-जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 5708/एस0टी-एस0डी0एम0/2021, दिनांक 17 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या 1007/एस0टी-एस0डी0एम0(एस)/2021, दिनांक 05 जून, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिनिसूचना संख्या 688/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम नाहल, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित नाली के खाते में दर्ज खसरा संख्या 26 रकबा 0.0052 हे0, खसरा संख्या 142 रकबा 0.0242 एवं खसरा संख्या 117 रकबा 0.0212 हे0 कुल खसरा नम्बरान 03 कुल रकबा 0.0506 हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किये जाने व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे) के नाम दर्ज ग्राम नाहल, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 0.0194 हे0 व ग्राम डिडवारी, परगना डासना,

तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खसरा संख्या 514 रकबा 0.0312 हे0 कुल खसरा नम्बरान 02 कुल रकबा 0.0506 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं–

1–उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रुपये 5,56,600.00 (पांच लाख छप्पन हजार छः सौ रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां'' के नाम जमा कराया जायेगा।

2–उप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा ग्राम नाहल व ग्राम डिडवारी, परगना डासना, तहसील व जनपद गाजियाबाद स्थिति विनिमय के माध्यम से प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि को नाली के रूप में तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम नाहल, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक से नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरांत सचिव पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नााम दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3–लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप-जिलाधिकारी गाजियाबाद अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4–उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप-जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञा

18 जून, 2021 ई0

सं0 2159/डी0एल0आर0सी0/2021–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचाायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि का पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	भदोही	भदोही	चकमुईधर	69	0.051	ऊसर	गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन (पुलिस चौकी चौरी, थाना चौरी जनपद भदोही हेतु)।

आर्यका अखौरी,
जिलाधिकारी, भदोही।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञा

21 जून, 2021 ई0

सं0 1054/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0बाद-2021—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण परियोजना, जिसके लिये भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	डासना	निडौरी	282-मि0	2.6810	श्रेणी 5-3-ड ऊसर	जनपद गाजियाबाद में जनपद के थानों में पकड़ी गयी गाडियों को इकट्ठा करके शहर के बाहर रखे जाने हेतु यार्ड की स्थापना के लिए गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पक्ष।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

22 जून, 2021 ई0

सं0 6568/सात-भू0सु0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी, अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने

अधिकार में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित गाटा सं0 1432 रकबा 0.1180 हे0 भूमि पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ (इलेक्ट्रिक शवदाह गृह निर्माण एवं संयंत्र स्थापना हेतु को हस्तगत कराया जायः

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट सं0/ गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	जाल्हूपुर	गाटा सं0 1432	हेक्टेयर 0.1180 श्रेणी 5-1 नवीन परती भूमि	पंचायती राज विभाग (जिला पंचायत वाराणसी को इलेक्ट्रिक शवदाह गृह निर्माण एवं संयत्र की स्थापना हेतु)।

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

23 जून, 2021 ई0

सं0 2164/आठ-एल0 ए0 सी0-पुनर्ग्रहण (2021-22)–ग्राम तालबेहट बाहर परगना व तहसील तालबेहट की आ0सं0-3983-मि0 रकबा 0.243 हे0 (श्रेणी 5-3-ड़, बंजर) जिसका पुनर्ग्रहण आदेश संख्या संख्या 88/आठ-एल0ए0सी0 पुर्न0 (2017-18), दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 द्वारा तहसील तालबेहट में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु किया गया था। पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के पत्र संख्या-प-87/2017, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 द्वारा उक्त पुनर्ग्रहीत अराजी का रकबा मानक से कम होने का उल्लेख करते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया। तदनुसार शासनादेश संख्या 154/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 08 जून, 2021 द्वारा उक्त पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को अपास्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः आ0सं0 3983 मि0, रकबा 0.243 हे0 (श्रेणी 5-3-ड़, बंजर) स्थित ग्राम तालबेहट बाहर, परगना व तहसील तालबेहट के संबंध में पारित पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-88/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2017-18), दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को निरस्त कर भूमि को पुनः गांवसभा के बंजर खाते में दर्ज किया जाय।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञा

23 जून, 2021 ई0

सं0 308 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1997-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल की नगर पंचायत, मडराक के कार्यालय/भवन निर्माण हेतु

शासनादेश संख्या 818/नौ-5-19-56सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 07 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	कोल	कोल	मडराक	123	0.230	5-1 नवीन परती	नगर पंचायत, मडराक के कार्यालय/भवन निर्माण हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर।

चन्दभूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अगलीगढ़।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

28 जून, 2021 ई0

सं0 65 76/सात-भू0सु0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश संहिता, नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी, अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तदोपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित गाटा सं0 1098 रकबा 0.3200 हे0 व गाटा सं0 1094-ग रकबा 0.8950 कुल 02 गाटा रकबा 1.215 हे0 भूमि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ (नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के स्थापना हेतु) को हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट सं0/ गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	9
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	जाल्हूपुर	1098 व 1094-ग श्रेणी 5-3-ङ बंजर भूमि	1.215	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के स्थापना हेतु।

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

25 जून, 2021 ई0

सं0 1380/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम शिकारपुर, परगना व तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी शिकारपुर की ओर से आख्या पत्रांक 812/रजिस्ट्रार कानूनगो, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 के साथ प्रस्तुत पुनर्ग्रहण प्रस्ताव दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.3414 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-76/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 22 जून, 2021 व शुद्धि पत्र संख्या यू0ओ0-76(1)/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 25 जून, 2021 के अनुपालन में परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखते हुए परिवहन निगम का शिकारपुर रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1		3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	बुलन्दशहर	शिकारपुर	शिकारपुर	शिकारपुर	2464	0.3414	श्रेणी 5-1 कषि-योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद), नवीन परती	उ0प्र0 शासन के परिवहन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए परिवहन निगम का शिकारपुर रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने हेतु।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञायें

26 जून, 2021 ई0

सं0 2311/डी0एल0आर0सी0-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2021–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग

करते हुये मैं, जितेन्द्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी, कानपुर देहात निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	कानपुर देहात	डेरापुर	परौंख	960	533	0.359	5-1 नवीन परती	गैर आवासीय राजकीय पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु (पशु चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश।

सं0 2312/डी0एल0आर0सी0-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2021—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व रास्व अनुभाग-1 की नवीन अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-153 मु0म(1)/पचास-यु0क0-2018-06(जी0एस0)/2017 टी0सी0-11, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में, मैं, जितेन्द्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी, कानपुर देहात निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
1	कानपुर देहात	भोगनीपुर	दौलतपुर	284/1 285 286/6 योग. .	0.615 0.205 0.307 1.127	श्रेणी 5-3-ड़ बंजर	मिनी स्टेडियम की स्थापना हेतु (युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश)।

जितेन्द्र प्रताप सिंह,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

28 जून, 2021 ई0

सं0 6571/सात-भू0सु0/2021—शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश संहिता, नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी, अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव, गाँव सभा में निहित थी, फिर से अपने

अधिकार में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित गाटा सं0-2652 मि0 रकबा 0.026 हे0 भूमि सरकारी कृषि रक्षा इकाई की स्थापना हेतु, कृषि विभाग को हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट सं0/ गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवारा राजा	मेंहदीगंज	2652 मि0	हेक्टेयर 0.026 श्रेणी 5-3-ड बंजर भूमि	कृषि विभाग, (सरकारी कृषि रक्षा इकाई हेतु)।

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

28 जून, 2021 ई0

सं0 1384/डी0एल0आर0सी0-2020–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 08 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत निजामपुर तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुंलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 252/र0का0, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के साथ उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/सस्तुति दिनांक 26 सितम्बर, 2020 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 13 सितम्बर, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित क्षेत्रफल 0.957 हे0 जनपद के सभी थानों पर पकड़े गये वाहनों को शहर से बाहर एक स्थान पर यार्ड बनाकर रखे जाने हेतु, पुलिस विभाग (उत्तर प्रदेश शासन का सेवारत विभाग) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1		3	4	5	6	7	8	9
1	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	निजामपुर	678	हेक्टेयर 0.957	श्रेणी 5-1 कषि-योग्य भूमि-नवीन परती	उ0प्र0 शासन के पुलिस विभाग के निवर्तन पर रखते हुए जनपद के सभी थानों पर पकड़े गये वाहनों को शहर से बाहर एक स्थान पर यार्ड बनाकर रखे जाने हेतु।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञा

29 जून, 2021 ई0

सं0 760/बारह-ए-भू0व्य0(पुनर्ग्रहण)/21-22—अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी, बहराइच, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तथा उपजिलाधिकारी नानपारा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 28 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश सख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र चर्दा की स्थापना हेतु पशुपाल विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	बहराइच	नानपारा	चर्दा	चर्दा	515	1.250	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बन्जर भूमि	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र चर्दा पशुपालन विभाग बहराइच, उ0प्र0।

डा0 दिनेश चन्द्र,
जिलाधिकारी, बहराइच।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 जुलाई, 2021 ई० (श्रावण 9, 1943 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

17 जून, 2021 ई0

सं0 411/23(2020-21)एम0ए0-II–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) 1994 की धारा 239 (ग) के अन्तर्गत जिला पंचायत अमरोहा, जनपद अमरोहा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत होने वाले भवन निर्माण आदि कार्यों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी यथा प्रस्तावित किया गया है। जिसका प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या 298/उपविधि/2020-21, दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा किया गया है। जिसकी पुष्टि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा कर दी गयी है। इसका प्रकाशन अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रकाशित किये जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

प्रस्तावित नवीन उपविधि का प्रारूप

यह उपविधि जिला पंचायत अमरोहा के समस्त ग्राम्य क्षेत्र के भवनों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

1–"अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–"ग्राम्य क्षेत्र" से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–"विनियमन" का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुये भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–"मानचित्र" से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया हो, एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–"निर्माण कार्य" का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–"भवन की ऊंचाई" का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिये दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई, में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–"छज्जा" का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–"भू-आच्छादन (Ground Coverage)" का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

9–"ग्रुप हाउसिंग" का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

10–"ले-आउट प्लान" का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

11–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(अ) अभियन्ता–अभियंता, जिला पंचायत।

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है, जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया है।

12–"कार्य अधिकारी" का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

13–"अधिभोग (Occupancy)" का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

14–"स्वामी" का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

15–"अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अमरोहा से है।

16–"जिला पंचायत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत, अमरोहा से है।

17–"अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, अमरोहा से है।

18–बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

19–"मंजिल" का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

20–"भवन" का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो

एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा, भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतया अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

21—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यता आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

22—व्यावसायिक वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यावसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल, व्यावसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

23—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती है, विस्फोटक जहरीले इरीटेण्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

24—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का (National building Code or Bureau of Indian standards) यथा संशोधित माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्राविधान प्रभावी माने जायेंगे।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा—

(i) किसी राजस्व ग्राम की आबादी क्षेत्र बनाने वाली रिहायशी एवं कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले भवन।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व से निर्मित भवनों में परिवर्तन/सम्वर्धन हेतु।

(iii) पूर्व में निर्मित शैक्षणिक भवनों में परिवर्तन/सम्बर्धन हेतु।

(iv) नवीन कालोनियां जिनका ले-आउट स्वीकृत होगा—उनके अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाट पर निर्मित होने वाले भवनों हेतु।

(v) ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से छोटे—व्यवसायिक भवनों हेतु।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर

मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम। समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा–

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी निकासी, अग्नि सुरक्षा, लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हैं।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4-5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर उंचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिन्टल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम उंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम उंचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लान से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्राविधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लाक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर उंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) या ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लाक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिये।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिये।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 4.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिये।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की ऊंचाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिये।

4–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईन की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे–

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई
1	2	3	4	5
				मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	12
4	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शापिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	10
5	**संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–**			
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	15
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	15
	(iii) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	15
6	**धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–**	50	1.20	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	10

1	2	3	4	5
				मीटर
	(ii) धर्मशाला, लाज, अतिथिगृह, हास्टल	40	2.50	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	6
7	**कार्यालय भवन–**			
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काम्पलेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	10
9	नर्सरी	10	0.50	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6

(च) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लाज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(छ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

(i) उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(ii) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6), 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर

पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ज) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(झ) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन–

सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 25.00 प्रति वर्ग मीटर।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन सूची–

सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) [i] भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

[ii] भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

[iii] भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाइप आदि।

[iv] किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)।

उपरोक्त ग (i) से (iv) तक यह दर रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

(ञ) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(क्ष) बाउन्ड्रीवाल स्वीकृति की दरें रु0 10.00 प्रति मीटर होगी।

नोट–शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।

(ञ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकि प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अभियन्ता के हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के अनुसार जारी किया जायेगा।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका यह आदेश अन्यपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ट) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किमी0 के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–भूखंड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के पांच किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुये भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुये किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिये निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा-पत्र जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अर्न्तगत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(ठ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत, की संस्तुति पर वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अर्न्तगत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(ड) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित अधिनियम की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, अमरोहा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी, अपराध करता रहा है तो रु0 50.00 (पच्चास रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग-3–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 जुलाई, 2021 ई० (श्रावण 9, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, बस्ती

22 जनवरी, 2021 ई0

सं0 5844(c)/न0पा0प0बस्ती/2020-21–उपनियमावली संख्या 3142 न0पा0प0ब0–नगरपालिका परिषद, बस्ती ने शासनादेश संख्या 2392/नौ-94-204-जनरल-90, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 व शासनादेश संख्या 2806/नौ-9-1994-204-जनरल-90 न0वि0अनु0-2 लखनऊ, उ0प्र0 शासन, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने सीमा में स्थित व्यवसायियों पर लाइसेंसिंग शुल्क आरोपित करने हेतु उपविधि लागू किया है। तदोपरान्त प्राप्त शासनादेश संख्या 1847/नौ-9-97-23-ज/97 नगर विकास अनु0-9 लखनऊ, दिनांक 09 जून, 1997 में दिए गए निर्देशों के क्रम में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, बस्ती ने अपने सीमान्तर्गत स्थित दुकानों व अन्य लाइसेंसियों को नियमित एवं नियंत्रण करने हेतु संशोधित उपनियम बनाया है। नगरपालिका परिषद्, बस्ती बोर्ड ने प्रस्ताव संख्या 05, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सर्वसाधारण के समक्ष समाचार-पत्रों एवं नगरपालिका के बेबसाइट www.nppbasti.org पर अपलोड कर आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित तिथि 30 दिन के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। शासनादेश के क्रम में सरकारी गजट में उपनियम प्रकाशित किया जाता है जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। इस उपनियमावली के प्रकाशन की तिथि से पूर्व में लागू उपनियमावली निष्प्रभावी मानी जायेगी।

उपनियमावली के धारा 15 के अन्तर्गत शर्तों में संशोधन तथा अन्य व्यवसाय को सम्मिलित किया जा सकता है। नगरपालिका परिषद्, बस्ती में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा 298 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, बस्ती की सीमा के अन्तर्गत यह उपविधियां व्यापारों को विनियोजित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क नियमावली, 2020 बनायी गयी है।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत लाइसेन्स की उपविधि

परिभाषा–किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर–

(अ) यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद्, बस्ती, जनपद बस्ती की लाइसेंसिंग नियंत्रण उपनियमावली, 2020 कहलायेगी।

(ब) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बस्ती के अधिशासी अधिकारी से है।

(स) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बस्ती के प्रभारी अधिकारी से है।

(द) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बस्ती के अध्यक्ष से है।

(य) लाइसेंसिंग अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, बस्ती होंगे।

उपनियम

1–यह उपनियम नगरपालिका परिषद्, बस्ती सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे।

2–इस उपनियम के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, रेलवे की पटरी नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगरपालिका द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थाई दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होंगे।

3–यह उपनियम लाइसेन्स व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलायेंगे।

4–कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने से पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों को लाइसेन्स उपनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5–लाइसेन्स हेतु आवेदक को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनायें उसके चौहद्दी स्थिति तथा कार्य विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही लाइसेन्सिंग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।

6–लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी। परन्तु 3 वर्ष के लिए 3 गुना या 5 वर्ष के लिए 5 गुना शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वर्ष में कभी भी बनवाने पर पूरा शुल्क देय है।

7–प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लेवे।

8–लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऑनलाइन शुल्क जमा भी किया जा सकता है। शासन के दिशा निर्देश लागू होगे, अपेक्षित धनराशि लाइसेन्स प्राप्त कर्ता नगरपालिका परिषद्, बस्ती के खाते में ऑनलाइन/कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करे।

9–केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इससे भिन्न होगा।

10–ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जाये।

11–नगरपालिका परिषद्, बस्ती के अध्यक्ष/प्रभारी, अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते है और उनके दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

12–अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकते हैं।

13–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

14–इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी फैक्ट्री, दुकान व वाहन लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्कों की दरे निरस्त हो जयेगी।

15–वाहनों के लाइसेन्स न दिखाने पर अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे व जानवर/वस्तु बन्द किया जा सकता है।

16–उपनियम की शर्तों में संशोधन बोर्ड कभी भी कर सकती है व शर्तो के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं।

17–प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होंगे।

18–अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा।

19–इन उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है तथा 3 गुना से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा।

20–यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नहीं बनवा लेते हैं तो रु0 10.00 प्रतिदिन या 2 की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

21–नगरपालिका को प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद लाइसेन्स शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का अधिकार होगा।

22–लाइसेन्स सम्बन्धी वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

23—लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

24—कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट किसी गौशाला सार्वजनिक शौचालय खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्क्रमण करना होगा। होटल, रेस्टोरेन्ट में साफ-सफाई आवश्यक रहेगा।

25—प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालोजी सेन्टर, एक्सरे, क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमें कूड़ा आदि डालेंगे। खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

26—किराया/निजी भार वाहन/यात्री वाहन, किराये पर बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलाते हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो।

27—पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री एवं संग्रह के लिये पेट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन करना होगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री के लिए अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेंण्डरों का जमाव नहीं करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहॉ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेन्स धारी को करना होगा। बुकिंग काउटरों पर सिलेण्डर का जमाव नहीं करेगा।

28—वाणिज्य संस्थान मिल मशीन, बिजली, डीजल, भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी सम्मिलित है, केवल हस्तचलित मशीन सम्मिलित नहीं है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आवाज/धुओं से और जन स्वास्थ के लिए हानिकारक प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुमन्य नहीं होगा और उसकी जॉच कराकर लाइसेन्स निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का अधिकार होगा।

29—केबिल टी0बी0 के लाइसेन्स धारी बिना नगरपालिका परिषद्, बस्ती की अनुमति के सड़क, घरों व बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नहीं बिछा सकेंगे।

30—सिनेमा टूरिंग टाकीज, सर्कस, प्रदर्शनी, जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

31—डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहॉ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को कराना अनिवार्य होगा।

32—पशुवध केवल पशुवधशाला (स्लाटर हाउस) में लाइसेंसधारी को करना होगा।

33—प्रत्येक जानवर मालिक के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर का ईयर टैगिंग कराये जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेंगे। जानवरों को इकट्ठा ले जाने व लाने पर स्वंय साथ रहेंगे। यदि हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगरपालिका किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नहीं होगी।

34—रिक्शा, टैम्पो, बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेंगे तथा निर्धारित सीट तक यात्री बैठा सकते हैं।

35—पान के दुकानदारों को दुकान के सामने पीकदान व एक तौलिया रखना होगा जिसका उपयोग पान खाने वाले करेंगे जिसकी सफाई स्वयं दुकानदार करायेगा तथा प्रतिदिन चूना आदि डालेगा।

36—मिठाई, चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी कूड़ादान का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करनी होगी दुकान में रखी सामग्री ढकी रखनी होगी तथा फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

37—प्रत्येक मांस-मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिक टांगें।

38—कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाय जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें जुर्माना वसूला जायेगा।

39—नगरपालिका परिषद्, बस्ती लाइसेन्स दरें निम्न रूप से अगले संशोधन तक निर्धारित करते हैं—

प्रारूप

क्र0 सं0	लाइसेन्स की मद	दर
1	2	3
	होटल, रेस्टोरेन्ट	रु0
1	होटल, लाजिंग तथा गेस्ट हाउस/बारात घर 10 शैया तक इसके बाद प्रति शैया रु0 100.00 की दर से	1,000.00

1	2	3
		रु0
2	तीन सीतारा होटल	9,000.00
3	पांच सीतारा होटल	12,000.00
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (20 बेड) तक	2,000.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड के ऊपर)	5,000.00
6	प्रसूति गृह (20 बेड)	4,000.00
7	प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर)	5,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
9	पैथालोजी सेन्टर	1,000.00
10	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00
11	प्राइवेट क्लीनिक/फिजियोथेरेपी क्लीनिक	3,000.00
12	एक्स-रे/अल्ट्रासाउण्ड/सिटी स्कैन/ई0सी0जी	2,000.00
13	**परिवहन**	
14	आटो रिक्शा 2 सीटर	360.00
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	720.00
16	आटो रिक्शा 7 सीटर	500.00
17	मिनी बस	2,500.00
18	बस	3,000.00
19	तांगा/रथ	50.00
20	रिक्शा किराये पर	150.00
21	रिक्शा (निजी चलित)	75.00
22	चर पहिया ठेला-ठेली	100.00
23	हाथ ठेला	25.00
24	व्यवसायिक ट्राली ट्रैक्टर सहित	1,560.00
25	**अन्य व्यवसाय**	
26	फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड	6,000.00
27	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रतिशाखा	12,000.00
28	पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	400.00
29	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00
30	बार/बीयर	6,000.00
31	आइस फैक्ट्री	100.00
32	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
33	देशी शराब	6,000.00
34	विदेशी शराब	12,000.00
35	भैसा मांस की दुकान	1,000.00
36	बकरा मांस की दुकान	1,000.00
37	.पशुपालक द्वारा एवं प्रति पशु	10.00
38	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना बड़े जानवर	350.00
39	दुकान मिट्टी के तेल 500 गैलन तक	500.00
40	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक ऑयल कम्पनी	5,000.00
41	पेट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक/फुटकर)	2,000.00

1	2	3
		रु0
42	जनरेटर डीजल 5 कि0वा0 तक	500.00
43	जनरेटर डीजल 5 कि0वा0 से अधिक	1,800.00
44	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन/गैस एजेन्सी	2,500.00
45	आटा चक्की	300.00
46	धुलाई (लॉन्ड्री)	1,000.00
47	ड्राइक्लीनर्स	1,670.00
48	साबुन फैक्ट्री	1,000.00
49	आईस फैक्ट्री/कोल्ड स्टोर/वर्फ फैक्ट्री	1,000.00
50	चूना बनाने की भट्टी	200.00
51	ईट भट्टा	5,000.00
52	पेठा बनाने का कारखाना	8,000.00
53	सीमेन्ट फैक्ट्री	30,000.00
54	चावल आटा मिल	5,000.00
55	जूता बनाने का कारखाना	30,000.00
56	लोहा व्यापारी टिम्बर/सीमेन्ट, ईट, बालू थोक सीमेन्ट मारबल टाइल्स	4,000.00
57	बिजली के सामान विक्रेता	3,000.00
58	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर विक्रेता	4,000.00
59	चाय थोक विक्रेता	800.00
60	कैटरिंग	1,300.00
61	बेकरी (भट्टी)	800.00
62	बेकरी (पावर)	1,600.00
63	हेयर कटिंग सैलून	500.00
64	ब्यूटी पार्लर	400.00
65	कुकिंग गैस एजेन्सी	800.00
66	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,000.00
67	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	500.00
68	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00
69	कोयला थोक विक्रेता	3,000.00
70	कोयला फुटकर विक्रेता	300.00
71	मसाला/पान मसाला कारखाना	3,000.00
72	पेन्ट्स की दुकान	1,600.00
73	ज्वैलर्स बड़े (पॉच लाख से ऊपर टर्नओवर मासिक)	8,000.00
74	ज्वैलर्स छोटे	4,000.00
75	विज्ञापन एजेन्सी	6,000.00
76	डेरी फार्म	500.00
77	भूसा थोक विक्रेता	1,500.00
78	भूसा फुटकर विक्रेता	500.00
79	वीडियो लाइब्रेरी /ऑडियो लाइब्रेरी	300.00
80	केबल टी0वी0 आपरेटर	3,000.00
81	आर्कीटेक/कन्सलटेन्ट, विधि चार्टर्ड, एकाउन्टेंट, करेंट एकाउन्टेंट	4,000.00
82	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी थोक विक्रेता	4,000.00

1	2	3
		रु0
83	अनाज तिलहन चीनी गुड़ खण्डसारी फुटकर विक्रेता	1,200.00
84	टेन्ट हाउस	2,500.00
85	पान की दुकान	200.00
86	चाट/चाक की दुकान (ठेला)	200.00
87	किताबों की थोक दुकान	500.00
88	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
89	लकड़ी के सामान की दुकान थोक	1,800.00
90	लकड़ी के सामान की दुकान फुटकर	500.00
91	टिम्बर मर्चेन्ट	5,000.00
92	मोबाइल/रेडियो/टी0वी0 मरम्मत	150.00
93	फर्टिलाइजर शॉप	2,000.00
94	प्लास्टिक फैक्ट्री	3,000.00
95	प्लास्टिक ट्रेडर्स	600.00
96	मिठाई की दुकान	1,600.00
97	मिठाई की दुकान ठेला	600.00
98	चाट बताशों की दुकान	300.00
99	ड्राईफ्रूट विक्रेता थोक	600.00
100	ड्राईफ्रूट विक्रेता फुटकर	300.00
101	गैस फिलिंग प्लान्ट	600.00
102	सब्जी/फल की दुकान	600.00
103	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
104	मसाले फुटकर विक्रेता	200.00
105	फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
106	क्राकरी विक्रेता	1,500.00
107	चूडी विक्रेता	300.00
108	बक्सा/कुठिया आदि की दुकान	500.00
109	बर्तन की दुकान थोक/फुटकर	500.00
110	क्रीम मशीन	300.00
111	घड़ी मरम्मत/दुकानें	700.00
112	कबाड़ खाना	1,000.00
113	रुई धुनाई मशीन/धान मशीन	1,000.00
114	स्पेल (तेल उद्योग)	1,500.00
115	मेंथा ऑयल क्रेता	2,000.00
116	आरा मशीन	800.00
117	खेल तमाशे सर्कस	2,500.00
118	मेडीकल स्टोर बड़ा (05 लाख मासिक बिक्री)	1,000.00
119	अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता	500.00
120	प्यूरिफायर पानी विक्रेता	200.00
121	वाटर प्यूरिफायर प्लांट	4,000.00
122	जूस की दुकान	500.00
123	पार्ट्स की दुकान	200.00

1	2	3
		रु0
124	शक्ति चलित वाहनों की मरम्मत वर्कशाप	500.00
125	बजरी बजरफुट रेत विक्रेता	200.00
126	मेंथा ऑयल प्लान्ट की एक टंकी	200.00
127	मेंथा ऑयल प्लान्ट की दो टंकी	500.00
128	मेंथा ऑयल प्लान्ट की दो से अधिक पर	1,000.00
129	गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित	1,000.00
130	कोचिंग 40 बच्चों तक	1,000.00
131	कोचिंग 40 बच्चों से अधिक	2,000.00
132	शॉप, मार्ट, शो-रूम आदि एक मंजिला/अन्य प्रति मंजिला रु0 1500.00 प्रति मंजिला	3,000.00
133	अन्य व्यवसाय जो सूची में सम्मिलित नहीं है उनका समकक्षता के अनुसार दर लिया जायेगा।	—

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसपैल्टिज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपनियमों में किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करायेगा या प्रोत्साहन देगा तो दोषी व्यक्ति पर अर्थदण्ड दिया जा सकता है, जो इस नियमावली में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुने से दस गुने तक जुर्माना हो सकता है। प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो रुपया 25.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न जमा करने पर तीन माह तक का कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

रूपम मिश्रा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, बस्ती।

कार्यालय, नगर पंचायत, तिन्दवारी, बांदा

27 जुलाई, 2021 ई0

शुद्धि-पत्र

सं0 140/उपविधि प्रकाशन-शुद्धि-पत्र/2021-22—उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 10 जुलाई, 2021, भाग-8 के पृष्ठ संख्या 623 से 624 में नगर पंचायत, तिन्दवारी, बांदा क्षेत्रान्तर्गत टैक्सी, टैम्पों/सवारी गाड़ी/भार वाहन उपविधि/नियमावली, 2021 को लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रकाशित विज्ञप्ति धारा 11 निर्धारित शुल्क विवरण में निम्नलिखित संशोधन पढ़ा जाय।

शुल्क विवरण

शब्द जो प्रकाशित हुये हैं			शब्द जो अब शुद्ध पढ़े जांय		
क्र0 सं0	वाहनों का प्रकार	दरें	क्र0 सं0	वाहनों का प्रकार	दरें
1	2	3	4	5	6
		रु0			रु0
1	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस, डीजल, पेट्रोल से चलने वाले भारी सवारी वाहन आदि	4.00 प्रति ट्रिप	1	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस, डीजल, पेट्रोल से चलने वाले भारी सवारी वाहन आदि	100.00 प्रति ट्रिप

1	2	3	4	5	6
		रु0			रु0
2	मिनी बस	30.00 प्रति ट्रिप	2	मिनी बस	50.00 प्रति ट्रिप
3	टैक्सी, टैम्पों, तिपहिया, जिप्सी, टाटा सूमो, टाटा मैजिक, कैम्पर, पिकअप व मैक्सी कैब, फैमली कैब व चार पहिया के अन्य वाहन	20.00 प्रति ट्रिप	3	टैक्सी, टैम्पों, तिपहिया, जिप्सी, टाटा सूमो, टाटा मैजिक, कैम्पर, पिकअप व मैक्सी कैब, फैमली कैब व चार पहिया के अन्य वाहन	30.00 प्रति ट्रिप
4	ट्रक भार वाहन	100.00 प्रति ट्रिप	4	ट्रक भार वाहन	150.00 प्रति ट्रिप
5	मिनी ट्रक/अन्य भार ढ़ोने वाले वाहन	50.00 प्रति ट्रिप	5	मिनी ट्रक/अन्य भार ढ़ोने वाले वाहन	75.00 प्रति ट्रिप

मुन्नी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, तिन्दवारी,
बांदा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कोटास सिक्योरिटी सर्विसेज, पता मोहल्ला कैलाशपुरी तारामण्डल देवरिया बाईपास रोड, पो0 रामपुर, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 19 सितम्बर, 2013 से श्री यशोदानन्द पाण्डेय, श्रीमती नर्वदा पाण्डेय, श्रीमती जया त्रिपाठी साझेदार थे। उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या जी-3833 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में साझेदार डीड दिनांक 09 अप्रैल, 2018 से श्रीमती जया त्रिपाठी पत्नी श्री राम मनोहर त्रिपाठी, उक्त फर्म से रिटायर्ड हो चुकी हैं तथा साझेदारी डीड दिनांक 06 अप्रैल, 2021 से श्री अंकुर त्रिपाठी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं, किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

यशोदानन्द पाण्डेय,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स एस0एस0 एन्टरप्राइजेज, ए-19, सेक्टर-10, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201301 की साझीदारी में श्रीमती कान्ता देवी शर्मा एवं श्री गोरधन दत्त शर्मा साझीदार थे। दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को निर्मला शर्मा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुईं। दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को श्री गोरधन दत्त शर्मा जी का स्वर्गवास होने के कारण वर्तमान में श्रीमती कान्ता देवी शर्मा एवं निर्मला शर्मा साझीदार हैं। साझीदार श्रीमती कान्ता देवी शर्मा का निवास स्थल ''बी-72, सेक्टर-72, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर'' हो गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कान्ता देवी शर्मा,
साझीदार।
मेसर्स एस0एस0 एन्टरप्राइजेज,
ए-19, सेक्टर-10, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201301।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स, राम जी जानकी पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज गीडा सहजनवा, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 में साझेदार डीड दिनांक 15 मई, 2007 से क्रमशः श्री रामप्रीत सिंह एवं श्री रणवीर सिंह कुल दो साझेदार रहे हैं। साझेदार श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामबेलास सिंह दिनांक 06 अप्रैल, 2021 से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गए हैं। उनके

हिस्से का हक उन्हें बचे हुए साझेदार श्री रामप्रीत सिंह जी द्वारा अदा किया गया तथा साझेदारी डीड दिनांक 06 अप्रैल, 2021 से श्रीमती मालती देवी पत्नी रामप्रीत सिंह जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी हैं। शेष बचे दोनों साझेदार श्री रामप्रीत सिंह एवं श्रीमती मालती देवी द्वारा आगे साझेदारी में व्यापार का संचालन किया जायेगा।

रामप्रीत सिंह,
साझेदार,
मेसर्स, राम जी जानकी पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज गीडा सहजनवा,
जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म दीपक गैस सर्विस, 24 द्वारिकापुरी, मुजफ्फरनगर का सहारनपुर से रजिस्ट्रेशन सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स सहारनपुर मंडल, सहारनपुर से दिनांक 8 मार्च, 2016 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में दीपक भारद्वाज पुत्र स्व0 हरदयाल भारद्वाज व श्रीमती छाया भारद्वाज पत्नी श्री दीपक भारद्वाज पार्टनर थे। दिनांक 13 जनवरी, 2019 को श्री दीपक भारद्वाज की मृत्यु हो गई थी और फर्म में दिनांक 14 मार्च, 2019 को कु0 खुशबू भारद्वाज पुत्री स्व0 दीपक भारद्वाज व श्री नंदन भारद्वाज पुत्र स्व0 दीपक भारद्वाज नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये थे। वर्तमान में फर्म में श्रीमती छाया भारद्वाज, कु0 खुशबू भारद्वाज व श्री नन्दन भारद्वाज पार्टनर हैं।

पार्टनर,
छाया भारद्वाज,
24 द्वारिकापुरी, मुजफ्फरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम चैतन्य अरोड़ा और कुछ अभिलेखों में चेतन अरोड़ा अंकित है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मुझे चेतन अरोड़ा के नाम से जाना व पहचाना जाये। प्रार्थी चेतन अरोड़ा फ्लैट नम्बर 401 शगुन वाटिका अपार्टमेन्ट प्राग नारायण रोड, लखनऊ।

चेतन अरोड़ा,
401 शगुन वाटिका अपार्टमेन्ट,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स वेद इंजीनियरिंग, बी0-38, सेक्टर-60, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)-201301 की साझीदारी में श्री विमल चढ्डा एवं श्री महेश चन्द्र चावला साझीदार थे। फर्म की साझीदारी में दिनांक 25 मार्च, 2021 को नीना चढ्डा एवं श्री सागर चढ्डा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं एवं दिनांक 25 मार्च, 2021 को श्री महेश चन्द्र चावला फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान में श्री विमल चढ्डा, नीना चढ्डा एवं श्री सागर चढ्डा साझीदार हैं एवं विमल चढ्डा का निवास स्थान ''ए-315, सेक्टर-31, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर'' हो गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विमल चढ्डा,
साझीदार,
मेसर्स वेद इंजीनियरिंग,
बी-38, सेक्टर-60, गौतमबुद्धनगर,
(उ0प्र0)-201301।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।